कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांक : विकास/शिक्षा/2025/01 दिनांक: 5/1/2026

आदेश

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जयपुर जिले में शीतलहर और बढ़ती हुई ठण्ड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री–प्राइमरी से कक्षा 05 तक के विद्यार्थियों का दिनांक 06.01.2026 से दिनांक 10.01.2026 तक एवं कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के विद्यार्थियों का दिनांक 06.01.2026 से दिनांक 08.01.2026 तक अवकाश घोषित किया जाता है। समस्त शिक्षकगण विद्यालय में नियमित उपस्थित रहेंगे तथा परीक्षाएं यथावत संचालित रहेंगी।

अतः जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से जयपुर में राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों में उपर्युक्त आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय/गैर राजकीय विद्यालयों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

क्रमांक : विकास/शिक्षा/2025/02 दिनांक: 5/1/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ।
5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर उत्तर/दक्षिण/पूर्व।
6. उपखण्ड अधिकारी, समस्त, जिला जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
8. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 92, गांधीनगर मार्ग, बजाज नगर, जयपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, जयपुर को आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।
10. सहायक निदेशक, जिला जन सम्पर्क कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
12. उपनिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
जयपुर